फर्द–अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, भीण्डर
जिला–उदयपुर (राज.)

प्रार्थी मनोहरदास .... विपक्षी भगवानदास ....

किस्म मुकदमा 212 .... पत्रावली संख्या 189/21 .... सन ....

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर वादी / प्रतिवादी / गवाह / आदेश पालनार्थ आदेशांक व दिनांक
22/07/25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्षकारान् उप०। प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान् द्वारा मूल-वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने पर सहमति जताई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् द्वारा उपस्थित होकर मूल वाद के निस्तारण तक मौके व रेकर्ड के यथास्थिति बनाये रखने हेतु अपनी सहमती व्यक्त की ताकि प्रकरण में वाद के निस्तारण से पूर्व किसी प्रकार के मौका एवं रेकर्ड में परिवर्तन से बचा जा सके। अत: उभय पक्षकारान् आपस में सहमत होने से पत्रावली को आपसी सहमती अनुसार स्वीकार योग्य पाया जाता है। –: आदेश :– परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आपसी सहमती अनुसार स्वीकार किया जाता [illegible] मौजा बोल्यो का साथ पटवार हल्का [illegible] जिला उदयपुर राज. जमाबंदी संवत [illegible] परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 153 की आराजी [illegible] 101, 102, 114, 115 किता 4 रकबा 5 बीघा 19 विस्वा भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 118 की आराजी नम्बर 559	उभयपक्षकार हाजिर एवं मौके की यथावत स्थिति हेतु सहमत हैं मुरलीधर मनोहरदास [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	कार्यवाही विवरण
	कित्ता 1 रकबा 04 बिघा 13 बिस्वा भूमि में भू-प्रबन्धन के बाद नये नम्बरान के आधार पर उभय पक्षकारान मूल वाद के निस्तारण होने तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमारहोकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:23:25 IST
Reason: SelfAttested